

कार्यालय : मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, नैनीताल।

अधिकारिक वेबसाइट : <https://ahd.uk.gov.in> ई-मेल : nainitalcvo@gmail.com

पत्रांक : 388 / ज0गो0 अनु0समिति / 2026.-27 दिनांक : 12.5-26

सेवा में,

ब्यूरो चीफ,

दैनिक समाचार पत्र-दैनिक जागरण / अमर उजाना।

विषय:- अभिरूचि की अभिव्यक्ति के प्रकाशन के सम्बन्ध में।
महोदय,

निवेदन है कि उत्तराखण्ड शासन की नीति के अनुरूप गौशाला स्थापना एवं संचालन हेतु जिला स्तरीय समिति, द्वारा ग्राम सिलोटी पन्त, भीमताल एवं, आनन्दनगर, (मालधनचौड), रामनगर अन्तर्गत राजकीय भू-सम्पति पर कार्यदायी संस्था कमशः नगर पालिका परिषद भीमताल एवं जिला पंचायत नैनीताल द्वारा निर्माणाधीन गोशाला शरणालय को उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड स्तर से मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्था के माध्यम से संचालित कराया जाना है। इस क्रम में गैरसरकारी संस्था के प्रतिस्पर्धात्मक चयन हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जानी है।

उक्त क्रम में विज्ञप्ति का आलेख संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-1) कृपया स्वीकृत डी0ए0वी0पी0दरों पर अपने दैनिक समाचार पत्र में निम्नानुसार विज्ञप्ति प्रकाशित कर सूचना विभाग से बिल प्रमाणित कराते हुए भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

विज्ञप्ति का प्रकार	त्रुटिरहित श्वेत श्याम विज्ञप्ति
बिल की अधिकतम स्वीकार्य सीमा	रु0 5.000/-

भवदीय

(डा0 डी0सी0जे0शी)

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,

तकनीकी सदस्य जनपदीय गो आश्रय अनुश्रवण समिति,
जनपद-नैनीताल

पृ0सं0

प्रतिलिपि:-

/ तददिनांकित।

1. जिला अधिकारी पदेन अध्यक्ष जनपदीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति जनपद नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी पदेन सदस्य सचिव, जनपदीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति जनपद नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।
3. सचिव उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड पशुधन भवन मोथरोंवाला देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एवं एन0आई0सी0 बैबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना अधिकारी जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सानुरोध प्रेषित।
6. उपजिला अधिकारी रामनगर, नैनीताल (अध्यक्ष) विकासखण्ड स्तरीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति रामनगर।
7. खण्ड विकास अधिकारी रामनगर, / भीमताल, सदस्य सचिव, विकासखण्ड स्तरीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति।
8. विकासखण्ड स्तरीय वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, रामनगर,, भीमताल तकनीकी सदस्य विकासखण्ड स्तरीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,

तकनीकी सदस्य जनपदीय गो आश्रय अनुश्रवण समिति,

कार्यालय : मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, नैनीताल।

अधिकारिक वैवसाइट : <https://ahd.uk.gov.in> ई-मेल : nainitalcvo@gmail.com

पत्रांक : / ज0गो0 अनु0समिति / 2026.-27 दिनांक : 12-5-26

सेवा में,

ब्यूरो चीफ,

दैनिक समाचार पत्र-दैनिक जागरण / अमर उजाना।

विषय:- अभिरूचि की अभिव्यक्ति के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि उत्तराखण्ड शासन की नीति के अनुरूप गौशाला स्थापना एवं संचालन हेतु जिला स्तरीय समिति, द्वारा ग्राम सिलोटी पन्त, भीमताल एवं, आनन्दनगर,(मालधनचौड), रामनगर अन्तर्गत राजकीय भू-सम्पति पर कार्यदायी संस्था क्रमशः नगर पालिका परिषद भीमताल एवं जिला पंचायत नैनीताल द्वारा निर्माणाधीन गोशाला शरणालय को उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड स्तर से मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्था के माध्यम से संचालित कराया जाना है। इस क्रम में गैरसरकारी संस्था के प्रतिस्पर्धात्मक चयन हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जानी है।

उक्त क्रम में विज्ञप्ति का आलेख संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-1) कृपया स्वीकृत डी0ए0वी0पी0दरों पर अपने दैनिक समाचार पत्र में निम्नानुसार विज्ञप्ति प्रकाशित कर सूचना विभाग से बिल प्रमाणित कराते हुए भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

विज्ञप्ति का प्रकार	त्रुटिरहित श्वेत श्याम विज्ञप्ति
बिल की अधिकतम स्वीकार्य सीमा	रु0 5.000/-

भवदीय,

(डा0 डी0सी0जोशी)

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,

तकनीकी सदस्य जनपदीय गो आश्रय अनुश्रवण समिति,

जनपद-नैनीताल

पृ0सं0 388

/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. जिला अधिकारी पदेन अध्यक्ष जनपदीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति जनपद नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी पदेन सदस्य सचिव, जनपदीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति जनपद नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।
3. सचिव उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड पशुधन भवन मोथरोंवाला देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन०आई०सी० जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एवं एन०आई०सी० बैबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना अधिकारी जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सानुरोध प्रेषित।
6. उपजिला अधिकारी रामनगर, नैनीताल (अध्यक्ष) विकासखण्ड स्तरीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति रामनगर।
7. खण्ड विकास अधिकारी रामनगर, / भीमताल, सदस्य सचिव, विकासखण्ड स्तरीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति।
8. विकासखण्ड स्तरीय वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, रामनगर,, भीमताल तकनीकी सदस्य विकासखण्ड स्तरीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,

तकनीकी सदस्य जनपदीय गो आश्रय अनुश्रवण समिति,

कार्यालय : मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, नैनीताल।

अधिकारिक वैबसाइट : <https://ahd.uk.gov.in> ई-मेल : nainitalcvo@gmail.com

पत्रांक : / ज0गो0अनु0समिति / 2026.-27 दिनांक : :

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जनपद नैनीताल अन्तर्गत निराश्रित, बृद्ध, बीमार, विकलांग परित्यक्त गोवंश एवं पुलिस-प्रशासन द्वारा गोतस्करों से बचाये गये केस प्रापटी गोवंश को शरण दिये जाने हेतु निम्न गोशाला शरणालय निर्माणाधीन है :-

क्र०	कार्यदायी स्थानीय निकाय का नाम	गोशाला शरणालय हेतु चिन्हाकित स्थान का नाम	निर्माणाधीन गोशाला की वर्तमान समय में अपेक्षित क्षमता	कालान्तर में गोशाला परिसर की क्षमता विस्तार किये जाने पर अपेक्षित क्षमता
1	नगर पालिका भीमताल	सिलोटी पन्त(भीमताल)	100	300
2	जिला पंचायत नैनीताल	आनन्दनगर (मालधनचौड़)	100	500

*रकबे की उपलब्धता के अनुरूप, 150 वर्ग फुट प्रतिगोवंश की दर से, गोशाला शरणालय की क्षमता में बृद्धि की जा सकती है।

शासनादेश ईपत्र सं0 36254 दिनांक 26 जून, 2023 एवं उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के पत्रांक 3149-50 दिनांक 31-12-2024 के अनुरूप इन गोशाला शरणालयों का संचालन, पशुपालन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI :Animal Welfare Board of India) अथवा उत्तराखण्ड, पशु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत गोकल्याण हेतु मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है। बोर्ड के पत्रांक 1847-53 दिनांक 11-08-2023 के अनुरूप इन संस्थाओं द्वारा, अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक एवं तुलनात्मक चयन किया जाना है। इस क्रम में निर्धारित आवेदन प्रपत्र एन. आई.सी. नैनीताल की वैबसाइट <https://nainital.nic.in> अथवा पशुपालन निदेशालय/उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की वैबसाइट <https://ahd.uk.gov.in> अथवा मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी नैनीताल के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। समस्त इच्छुक आवेदक संस्थाओं द्वारा विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिनों के भीतर कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी नैनीताल अन्तर्गत निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन स्वयं अथवा पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
नैनीताल।

मुख्य विकास अधिकारी,
नैनीताल।

जिला अधिकारी,
नैनीताल।

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

Uttarakhand Animal Welfare Board

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरौवाला देहरादून।

फोन नं० - 0135 - 2532 850 फैक्स : 0135 - 2532 811

वैब साइट : <http://ahd.uk.gov.in/pagesdisplay132-uttarakhand-animal-welfare-board>

पशु कल्याण संस्था के रूप में मान्यता/राजकीय अनुदान हेतु आवेदन प्रपत्र

1. संस्था का परिचय

- नाम
- पता
- पिन कोड
- दूरभाष/एस.टी.डी कोड
- फैक्स
- ई मेल

2. संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम एवं पते :

3. क्या संस्था भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ? यदि हाँ तो कोड संख्या ?

4. आपकी संस्था द्वारा पशु कल्याण का क्या कार्य किया जाता है ?
ए. बी. सी./बचाव कार्य/पशु शरणालय/पशु चिकित्सा /

प्राकृतिक आपदा में बचाव कार्य/विधिक न्यायालयी सहायता

5. क्या आपकी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट एक्ट अथवा विदेशी सहायता एक्ट के तहत पंजीकृत है ?

यदि हाँ तो :-

(क) कृपया पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(ख) पंजीकरण कार्यालय

(ग) पंजीकरण संख्या

(घ) पंजीकरण तिथि

6. संस्था का स्थापना वर्ष/नियमावली की सत्यापित छायाप्रति/
पदाधिकारियों का विवरण एवं उनके दायित्व तथा कार्यक्षेत्र :
7. गत तीन वर्षों का आय व्यय लेखा :
8. क्या संस्था द्वारा राजकीय कोष से (भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा भारत सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या सांसद निधि या विधायक निधि या ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत या नगर पालिका अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय) से पशु कल्याण कार्यों हेतु अनुदान प्राप्त किया गया ? यदि हाँ तो प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लेखा विवरण भेज दिया गया है ?

प्राप्त अनुदान का विवरण प्रस्तुत करें।

9. संस्था की संपत्ति / संसाधन

9.1 भूमि :

(क) कुल भूमि उपलब्धता :

(ख) क्या भूमि आपकी संस्था के नाम पंजीकृत है ?

यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

(ग) क्या भूमि आपकी संस्था के नियंत्रणाधीन है ?

यदि हाँ तो कृपया स्पष्ट करें कब से उक्त भूमि आपके नियंत्रणाधीन है ?

(घ) किस प्रकार भूमि अर्जित की गयी ? तदनुसार अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें।

- क्रय से अर्जित की गयी ?
- दान से अर्जित की गयी ?
- न्यूनतम 30 वर्ष के पट्टे से अर्जित की गयी ?
- राजकीय भूमि ?
- स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि ?

(ड) क्या आपकी भूमि में परिसर दीवार अथवा आयरन फेंसिंग करा ली गयी है ?

(च) बड़े पशुओं के गौचर हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

(छ) छोटे पशुओं के भ्रमण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

9.2 उपलब्ध पशु चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा संसाधन :

पशु चिकित्सक : संख्या ?

उपलब्धता - पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

पैरा वैटनरी स्टाफ : संख्या ?

उपलब्धता - पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

श्रमिकवर्ग पैरावैट : संख्या ?

उपलब्धता - पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

- औषधालय :
- औषधि उपलब्धता सूची :
- क्या औषधि उपलब्धता सूची को मासिक रूप से पुनः नवीनीकृत किया जाता है ? :
- आइसोलेसन वार्ड/ आई. सी. यू. / बीमार पशु वार्ड :
- लिपिटिंग वैन / एम्बुलेंस की उपलब्धता :
- अन्य सुविधायें :

9.3 पशुओं हेतु चारा/भोजन का स्रोत एवं भण्डारण सुविधा :

- पशुओं हेतु चारागाह की सुविधा -
- सूखे चारे के स्रोत -
- परिसर में उपलब्ध चारा वृक्षों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
- गत वर्ष लगाये गये पेड़ों की संख्या ? औसत उत्पादकता
- चालू वर्ष में लगाये गये पेड़ों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
- परिसर में चारा घासों का रोपित क्षेत्रफल ? औसत उत्पादकता ?
- अन्य स्रोतों से उपलब्धता ?

- | | | |
|---|---|-------------------|
| - चाराचरी की उपलब्धता | - | संख्या - |
| - भूसा स्टोर कक्षों की व्यवस्था | - | संख्या एवं साइज - |
| - अन्य चारे हेतु स्टोर कक्षों की व्यवस्था | - | संख्या एवं साइज - |
| - चैप कटर की उपलब्धता | - | संख्या - |
| - चारा घासों का फसल चक्र | - | |

9.4 अन्य संसाधन एवं अन्य सुविधायें :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - बिजली | - |
| - बल्ब | - |
| - ट्यूब लाइट | - |
| - पंप | - |
| - ट्यूबवैल / बोरवैल / मोटराइज्ड पम्प | - |
| - मोटराइज्ड चैपकटर | - |
| - पेय जल स्रोत | - |
- (कुआं / बोर वैल / हैंड पंप / प्राकृतिक स्रोत / नहर / नदी / पेय जल संयोजन)

- | | | |
|------------------------------|----------|----------|
| - पेय जल संग्रहण की सुविधा : | | |
| ओवर हैड टैंक | - संख्या | क्षमता - |
| स्टोरेज टैंक (सीमेंट) | - संख्या | क्षमता - |
| स्टोरेज टैंक (प्लास्टिक) | - संख्या | क्षमता - |
| पानी पीने की नांद | - संख्या | |

- नाली की व्यवस्था
- मूत्र संग्रह की व्यवस्था
- गोबर संग्रह की व्यवस्था
- चारा पिट्स की व्यवस्था
- स्वच्छता एवं सफाई की दशा :
- भोजन पकाने / तैयार करने हेतु बर्तन आदि की सुविधायें :

9.5 कार्यालय अभिलेखों का विवरण :

- कार्यालय पंजिकाओं के शीर्षक :
- कार्यालय फाइलों के शीर्षक :
- अन्य अभिलेख :

10. वर्तमान में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या ?
आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रपत्र 1 में समस्त सूचनाएँ उल्लिखित करें।
रोगी पशु संख्या ?
निराश्रित अपंग पशु संख्या ?
निराश्रित अनुत्पादक/बृद्ध पशु संख्या ?
निराश्रित उत्पादक पशु संख्या ?
11. दुधारु पशुओं में ऑक्सीटोसिन एवं अन्य दवाओं के प्रयोग का विवरण :
12. क्या आपकी संस्था में गोबर गैस का सदुपयोग प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हों तो कृपया प्रगति विवरण दें।
13. क्या आपकी संस्था में वर्मी कल्चर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?
14. क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र विक्रय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हों तो कृपया प्रगति विवरण दें।
15. क्या आपकी संस्था में गौमूत्र शोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हों तो कृपया प्रगति विवरण दें।
16. क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र से अन्य उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हों तो कृपया प्रगति विवरण दें।
17. क्या आपकी संस्था में पंचगव्य से विभिन्न उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हों तो कृपया प्रगति विवरण दें।
18. गत वर्षों में आपकी संस्था द्वारा बचाये गये पशुओं का विवरण :
समाचार पत्रों की पेपर कटिंग्स, / फोटो ग्राफ्स / वी. सी. डी. संलग्न कर प्रस्तुत करें।
19. संस्था में पशुओं को रखने की क्षमता हेतु विवरण संलग्न-1 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

20. संस्था में कर्मचारियों का विवरण संलग्न-2 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

21. संस्था के अभिलेखों की छायाप्रतियाँ संलग्न-3 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

22. स्पष्ट करें कि वांछित अनुदान धनराशि सुदृढीकरण हेतु वांछित है अथवा नव-निर्माण हेतु।

मैं/हम ने गौ-सदन स्थापना/सुदृढीकरण के लिये आर्थिक अनुदान धनराशि हेतु, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018 एवं तत्सम्बन्धित शासनादेशों (शासनादेश संख्या 759/XV-1/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर, 2008, शासनादेश संख्या 807/XV-1/11/1(3)08, पशुपालन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 एवं शासनादेश संख्या 1063/XV-1/16/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर, 2016) में उल्लिखित शर्तें एवं अनुमन्यतायें भली-भाँति पढ़ ली हैं। हमारी संस्था को सभी शर्तें स्वीकार हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

संलग्नक : आवेदन प्रपत्र-1 से प्रपत्र-3 संलग्न कर प्रेषित करें।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक-1

योजना का नाम :- गौ सदन/पशु शरणालय

1. संस्थान का नाम :
2. वर्ष :

शरणागत पशुओं का विवरण

क्रम सं०	पशुओं के प्रकार व नस्ल	वयस्क		बच्चे		योग
		नर	मादा	नर	मादा	
1.	गोवंशीय पशु (भारतीय नस्ल)					
2.	गोवंशीय पशु (विदेशी नस्ल)					
3.	अन्य पशु					
कुल शरणागत पशु						
अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता (वर्ग फुट)	 वर्ग फुट (गो पशुओं हेतु)				
	 वर्ग फुट (अन्य पशुओं हेतु)				

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

आवेदन प्रपत्र संलग्नक-2

योजना का नाम:- गौ सदन/पशु शरणालय के रख-रखाव/उपचार हेतु उपलब्ध कार्मिकों का विवरण

भाग-1 (गत वर्ष.....)

1. संस्था का नाम :-
2. संस्था का पता :-
3. वर्ष

क्रम सं०	कार्मिक का नाम व पता	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	अवधि	प्रतिमाह वेतन	गत वर्ष किया गया कुल वेतन भुगतान	टिप्पणी

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

गौ-सदन/पशु शरणालय के स्थान हेतु प्रपत्र के साथ अपेक्षित अभिलेखों की सूची :-

1. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र
2. विस्तृत प्रस्ताव एवं गौ सदन के निर्माण का औचित्य
3. आवेदन पत्र के बिन्दु-5 के अनुरूप पंजीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापित छायाप्रति
4. संस्था का स्मृति पत्र की सत्यापित छायाप्रति
5. संस्था की नियमावली की सत्यापित छायाप्रति
6. साईट प्लान/ब्लू प्रिन्ट जो कि स्थानीय निकाय के द्वारा स्वीकृत हों।
7. भूमि के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति (भूमि की रजिस्ट्री अथवा लीज अथवा पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति। भूमि कम से कम 30 वर्ष हेतु पट्टे पर ली गयी हो।)
8. संस्था के नाम पर भूमि के पंजीकरण के रजिस्टर अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति।
9. स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत गौ-सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति)।
10. गौ-सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु धनराशि का मदवार आबंटन लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जाए (मूल रूप में)।
11. संस्था की अधिशासी समिति तथा सामान्य कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची (नाम, पता, दूरभाष संख्या)
12. संस्था के गत वर्ष के आय-व्यय लेखा का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित निम्न अभिलेखों की छायाप्रति :-
 1. आय-व्यय का लेखा (बैलेन्स शीट)
 2. व्यय लेखा (एक्सपेंडिचर एकाउन्ट)
 3. प्राप्ति भुगतान लेखा
 4. सम्परीक्षण प्रतिवेदन
13. आज तक पशु कल्याण हेतु किये गये कार्यों का विवरण तथा उन पर किये गये व्यय।
14. गौ-सदन को भली-भाँति चलाने तथा पशुओं के रख-रखाव हेतु वित्तीय संसाधन।
15. क्या आज तक संस्था को भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है (यदि हाँ तो विवरण दें तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
16. औषधि/उपकरण क्रय हेतु रेट कोटेशन की छायाप्रति।
17. वर्तमान समय में उपलब्ध भवनों की क्षमता।
18. क्या संस्था द्वारा स्थानीय निकाय में आवारा पशुओं को षरण दिये जाने के बावत सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया है (यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
19. वर्तमान समय में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या के अभिलेख के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र-1
20. वर्तमान समय में आपकी संस्था में कार्यरत कार्मिकों की संख्या के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र-2

अपील :-

आवेदक संस्थाओं से निवेदन है कि अपने 'आवेदन प्रस्ताव' के साथ समस्त अभिलेख संलग्न करें, जिससे प्रस्तावों पर शीघ्रतिंशीघ्र निर्णय हेतु सुविधा हो सके।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक-3

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार से मान्यता लिये जाने के क्रम में आवेदक संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव

आवेदक संस्था का नाम :

आवेदक संस्था का पता :

आज दिनांक स्थान पर हमारी संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई। प्रबन्ध कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :-

1. हमारी संस्था द्वारा अलाभकर गोवंश (बृद्ध / बीमार / विकलांग / बांझ / अनुत्पादक निराश्रित गोवंश तथा पुलिस प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये केस प्रॉपर्टी गोवंश) को शरण दिये जाने का पवित्र कार्य किया जायेगा।
2. हमारी संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों/दान अथवा जनसहयोग से मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 50 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु कृत संकल्प एवं समर्थ है।
3. हमारी संस्था पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड से मान्यता लिये जाने हेतु सहमत है।
4. हमारी संस्था उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त आंशिक सहायता/भरण पोषण अनुदान से लाभान्वित किये जाने हेतु आकांक्षी है।
5. हमारी संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख-रेख भरण पोषण करने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।
6. हमारी संस्था, गोहत्या के निषेध तथा गोतस्करी के निवारण हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।
7. हमारी संस्था द्वारा शरणागत गोवंश की बीमारी की दशा में राजकीय पशुचिकित्सालय के माध्यम से चिकित्सा कराये जाने तथा मृत्यु की दशा में शव परीक्षण/प्रमाणन कराये जाने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-